M

राजस्थान-सरकार राजस्व(गुप-1) विभाग

जयपुर,दिमीकर 101 2011

कगाक:प.9(9)राज. / गुप--1 / 2011

- अधिसूचनाः-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला टौंक की प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला टौंक की तहरील उनियारा के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम सख्या-6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात राजस्व गाँव के रूप में गाना जाकर अभिलेखित किया जावेशम एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गांव की कुल देह में से कम होकर कालग संख्या-8 के अनुसार होगा:-

15 Odi	जिला / तहाराील	मूल शजस्त ग्राम का नाम	की ज	जस्व ग्राम नसंख्या / न (हैंग्टर गें)	प्रस्तावित राजस्व ग्राम का ग्राम	प्रस्तावितं राजस्य ग्रामं की जनसंख्या/ होत्स्फल (हेंच्ट्रस् में)		्रिक्ता कितगी में	्राप्त प्राप्त का शेष रहा होत्रफल (हेक्ट्रर में)
			હાન સંસ્થા	शेन्त्रफल		जन संस्था	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	- 6	7	8	9	10
1. 1.	ींक / उनियारा	विलासपुर	868	783.72	श्रीनगर	220	237.05	2	546.67

नवीन राजरव ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजरव ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, टौंक को अधिकृत किया जाकर जिला कलक्टर विभागीय परिपन्न कमांक प.9(16)राज—1/07 दिनांक 20.08.09 जाता है।

21/21 U Data Bark

(3)न्तर सिंह) / ग शासन उप सचिव